RNI No. MAHBIL /2009/35527

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ११, अंक ३४] सोमवार, ऑक्टोबर १३, २०२५/आश्विन २१, शके १९४७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२५.

क्रमांक जीवका-२०२५/प्र.क्र. ८०/नापु-२८.— ग्राहक बाबी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून **असाधारण राजपत्र**, भाग ॥-खण्ड ३ उप-खंड (ii) मध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, २६ अगस्त २०२५

का. आ. ३९२६(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **भारत के राजपत्र** में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग ॥, खण्ड-३, उप-खण्ड (ii) में दिनांक २७ मई २०२५ के का.आ.२३५९ (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः

उक्त आदेश में, पैराग्राफ २(i) को निम्ननुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा

२(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक ३१ मार्च, २०२६ तक की अवधि के लिए गेहूं :

- व्यापारी/थोक विक्रेता : **२००० मीट्रिक टन**
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए **८ मीट्रिक टन**
- बिग चेन रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए **८ मीट्रिक टन** बशर्ते अधिकतम मात्रा **(कुल दुकानों की संख्या का ८ गुणा)** मीट्रिक टन। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है।
- प्रोसेसर्स : मासिक स्थापित क्षमता के **६०%** मात्रा को २०२५-२६ के शेष महीनों से गुणा, के बराबर

उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (*https://foodstock.dfpd.gov.in*) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से १५ दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के पोर्टल अर्थात् (*https://foodstock.dfpd.gov.in*) पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किए जाएंगे।

[फा. सं. ३/१/२००७- नीति-III]

सी. शिखा,
संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

Order

New Delhi, the 26th August, 2025.

S. O. 3926(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the *Gazette of India*, Extraordinary, Part (II) Section-3, Sub Section (ii) *vide* S.O. 2359(E), dated 27th May 2025, namely :

In the said Order, Paragraph 2 (i) shall be replaced as under :

2 (i) Wheat for a period upto 31st March 2026 with following stock limits for all States and Union Territories :

- Traders/Wholesaler : **2000 MT**
- Retailer : **8 MT** for each Retail outlet
- Big Chain Retailer : upto **8 MT** for each retail outlet subject to maximum quantity of (**8 multiplied by total No. of outlets) MT.** This will be the maximum stock that can be held at all their retail outlets and depots put together.
- Processors : **60%** of Monthly Installed Capacity (MIC) multiplied by remaining months of FY 2025-26

Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal (*https://foodstock.dfpd.gov.in*) of Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 15 days of issue of this notification. It shall be ensured that Wheat stock is regularly declared and updated on the portal of this Department *i.e.* (*https://foodstock.dfpd.gov.in*).

[F. No. 3/1/2007 Py-III]

C. SHIKHA.
Jt. Secy.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक आत्राम,
सहसचिव,
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.